खान आयुक्त का न्यायालय, बिहार

विविध वाद संख्या–02 / 2026

जिला–पटना

मनीष कुमार ... वादकर्ता

बनाम

समाहर्त्ता, पटना एवं अन्य ... प्रतिपक्ष

आदेश

17.06.2026 1. वर्तमान कार्यवाही माननीय पटना उच्च न्यायालय के CWJC No.-267/2026 मनीष कुमार बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में दिनांक–26.03.2026 को पारित आदेश के अनुपालन में याचिकाकर्त्ता के द्वारा समर्पित अभ्यावेदन के आलोक में प्रारंभ की गई है।

2. अभ्यावेदनकर्त्ता का कहना है कि उन्हें पटना जिलान्तर्गत भण्डारण अनुज्ञप्ति संख्या–K-PATNA/169/2025 निर्गत है। वह अनुज्ञप्ति की सभी शर्त्तों का पालन करते हुए कारोबार कर रहे है। वह खान एवं भूतत्व विभाग के पत्रांक–5645, दिनांक–07.10.2025 से इस हद तक व्यथित हैं कि उनके विरूद्ध उक्त पत्र बिना किसी सत्यापन, वास्तविक तथ्यों पर विचार किए बिना और बिना कोई सुनवाई का अवसर दिये यांत्रिक रूप से लागु किया गया है। प्रतिवादी पदाधिकारियों द्वारा बिना किसी सूचना के अनुज्ञप्ति का आई0डी0 / पासवर्ड ब्लॉक कर दिया गया। इसके अतिरिक्त रानी तालाब थाना काण्ड संख्या–381 / 2025 दर्ज की गई। जिला खनन कार्यालय, पटना के पत्रांक–2366 / एम0, दिनांक–24.11.2025 द्वारा उन्हें नोटिस जारी किया गया, जिसमें यूजर आई0डी0 पर 2000 मीट्रिक टन बालू स्टॉक करने की बात कहते हुए 7 दिनों में ₹53,25,000 / – रूपये जमा करने एवं लाइसेंस के नियम व शर्त्तों के क्लॉज–10 का उल्लेख किया गया। उनके द्वारा इसका जबाव दिनांक–12.01.2026 को समर्पित किया गया है। उपरोक्त कार्रवाई के विरूद्ध उनके द्वारा CWJC No.-267/2026 दायर की गई थी, जिसमें माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक–26.03.2026 के आलोक में अभ्यावेदन दिया गया है। अभ्यावेदनकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अनुज्ञप्ति का आई0डी0 / पासवर्ड चालू करने, पत्रांक–5645, दिनांक–07.10.2025 को उनपर लागू नहीं करने, अवैध बिक्री का आरोप नहीं लगाने का अनुरोध सुनवाई में किया गया।

3. खनिज विकास पदाधिकारी, पटना द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि दिनांक–21.05.2025 को अभ्यावेदनकर्त्ता को मौजा–अमडेहरी, पो0–काब, थाना–रानीतालाब में भण्डारण अनुज्ञप्ति संख्या–169/25 निर्गत किया गया। कार्यालय पत्रांक–1344, दिनांक–05.06.2025 द्वारा उन्हें पंजी का संधारण, मासिक रिटर्न, भण्डारित स्थल के चार Corner Point का Geo Co-ordinate, साईन बोर्ड का अधिष्ठापन, अनुज्ञप्ति स्थल के चारों तरफ से फेंसिंग करने एवं भण्डारित बालू को तारपोलिन से ढक कर रखने, बालू भण्डारण कार्य समाप्त होने के उपरांत भण्डारित बालू का आयतन की मापी Theodolite/Total station से कराने, लाईव तार के नीचे बालू का भण्डारण नहीं किये जाने संबंधी शपथ पत्र तथा GST प्रमाण पत्र, उक्त बिन्दुओं का अनुपालन हेतु निदेशित किया। साथ ही 7 दिनों के अन्दर लंबित मासिक रिटर्न समर्पित करने का निदेश दिया गया अन्यथा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अनुपालन नहीं किए जाने के कारण पत्रांक–1467, दिनांक–19.06.2025 से एन0आई0सी0 से ई–चालान निर्गमन बंद करने हेतु अनुरोध किया गया। पुनः पत्रांक–1471, दिनांक–20.06.2026 द्वारा अनुज्ञप्तिधारी को उपरोक्त का अनुपालन हेतु निदेशित किया गया। खननसॉफ्ट पोर्टल पर लॉगिन आई0डी0 "dmopatna" से जाँच के दौरान पाया गया कि अभ्यावेदनकर्त्ता द्वारा अनाधिकृत रूप से अपने आई0डी0 में 2000 मीट्रिक टन बालू बिना Goods details, Log History, खनिज परिवहन चालान, अपठनीय एवं फर्जी E-way Bill पर दिनांक–01.06.2025 को जोड़ा गया है। अनुज्ञप्ति संख्या–169/2025 में भण्डारित बालू की मात्रा 3285 मीट्रिक टन, जो पोर्टल आई0डी0 में उपलब्ध मात्रा के अनुरूप ही था। अभ्यावेदनकर्त्ता एवं अन्य पटना जिले के अन्य अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अनाधिकृत रूप से अपने यूजर आई0डी0 पर कैपिंग बढ़ाने के संदर्भ में कार्यालय पत्रांक–2026/एम0, दिनांक–20.09.2025 से विभाग के संज्ञान में पूरे मामले को लाया गया, जिसके उपरांत विभागीय पत्रांक–5645, दिनांक–07.10.2025 से भण्डारण अनुज्ञप्तिधारियों पर कार्रवाई का निदेश प्राप्त हुआ। अभ्यावेदनकर्त्ता का आई0डी0 पूर्व से ही शर्त्त एवं बंधेजों का अनुपालन नहीं करने के कारण inactive किया गया था। अभ्यावेदनकर्त्ता द्वारा अवैध बालू को वैध करने के नियत से अनाधिकृत रूप से कैपिंग जोड़ा गया है। इससे हुए राजस्व क्षति के बावत रानी तालाब थाना काण्ड संख्या–281/2025 दर्ज की गयी है। इसके अतिरिक्त कार्यालय पत्रांक–2366, दिनांक–22.11.2025 से दर्ज प्राथमिकी के आलोक में अनुज्ञप्ति रद्द करने एवं अवैध खनन के बावत राजस्व क्षति हेतु अधिरोपित दण्ड की वसूली के लिए अनुज्ञप्तिधारी को स्पष्टीकरण किया गया। पूर्व मध्य रेल, दानापुर मंडल द्वारा भी यह स्पष्ट किया गया है कि अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा किसी भी मालगोदाम टर्मिनल से बालू की कोई लोडिंग या परिवहन नहीं किया गया है।

खनिज विकास पदाधिकारी, पटना द्वारा उपरोक्त अभ्यावेदन खारिज करने योग्य बताया गया है।

4. अभ्यावेदनकर्त्ता को सुना एवं अभिलेखों को देखा। बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019 (यथा संशोधित) के नियम–41 एवं 43 के तहत लघु खनिज का परिवहन वैध ई–चालान के माध्यम से किया जाना अनिवार्य किया गया है। नियमावली के नियम–39 के तहत पट्टा क्षेत्र के बाहर खनिजों के व्यापार हेतु भण्डारण अनुज्ञप्ति का प्रावधान है। वर्त्तमान में ई–चालान की लागु व्यवस्था में राज्य के खनिज समानुदानधारक/बंदोबस्तधारी से ई–चालान के माध्यम से लघु खनिज क्रय करने वाले भण्डारण अनुज्ञप्तिधारी के आई0डी0 में वैध स्रोत से क्रय कर प्राप्त किये गये खनिज की मात्रा स्वतः जुड़ जाती है एवं तद्नुसार अनुज्ञप्तिधारी ई–चालान निर्गत कर लघु खनिज की बिक्री कर सकते हैं। अन्य राज्यों से वैध स्रोत से क्रय कर लाये गये खनिज की बिक्री के प्रयोजनार्थ ई–चालान हेतु प्राप्त खनिज को अपने आई0डी0/पोर्टल में जोड़ने के लिए अनुज्ञप्तिधारी को प्राप्त खनिज का परिवहन चालान, ई–वे बिल आदि पोर्टल पर अपलोड करना होता है।

5. पटना सहित अन्य जिला खनन कार्यालयों द्वारा विभाग को प्रतिवेदित किया गया कि कई अनुज्ञप्तिधारियों ने अवैध रूप से बिना परिवहन चालान अपलोड किये तथा फर्जी दस्तावेज को पोर्टल पर अपलोड कर खनिज की मात्रा अपने आई0डी0 से जोड़ लिया है। इस मामले में पाया गया है कि रेल के माध्यम से अन्य राज्यों से बालू खनिज का परिवहन बिहार राज्य में दिखाया गया है, जबकि बिहार राज्य में पर्याप्त मात्रा में बालू उपलब्ध है। कुछ जिलों द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि रेलवे द्वारा संदर्भित मामलों में रेलवे के माध्यम से खनिज प्राप्त नहीं किये जाने की पुष्टि की गयी है। ज्यादातर अनुज्ञप्तिधारियों के द्वारा पोर्टल पर एक ही तरह का धुंधला/अपठनीय दस्तावेज अपलोड किया गया है। स्पष्टतः यह पोर्टल पर अवैध रूप से खनिज की उपलब्ध मात्रा के लिए खनिज का अवैध उत्खनन कर भण्डारण अनुज्ञप्ति से ई–चालान निर्गत करने की मंशा से ऐसा किया गया है। खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा जिलों से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में विभागीय पत्रांक–5645/एम0, दिनांक–07.10.2025 से सभी क्षेत्रीय पदाधिकारियों को अनुज्ञप्तिधारियों के विरूद्ध जाँचोपरान्त नियमानुसार कार्रवाई का निदेश दिया गया है। विभाग का यह निदेश क्षेत्रीय पदाधिकारियों का नियम, शर्त्तो एवं बंधेजों के विरूद्ध कार्य करने वाले अनुज्ञप्तिधारियों के लिए कार्रवाई के संदर्भ में है। क्षेत्रीय पदाधिकारी विभागीय निदेशों के आलोक में अपेक्षित कार्रवाई मामले के गुण–दोष के आधार पर ही करते हैं। अभ्यावेदनकर्त्ता द्वारा अपने अनुज्ञप्ति पोर्टल पर अवैध दस्तावेजों के आधार पर जोड़ी गयी मात्रा, माह अगस्त के लिए जिला खनन

कार्यालय में समर्पित मासिक रिटर्न में तथा ड्रोन सर्वे में भण्डारित बालू की मात्रा से संबंधित प्रतिवेदन, जो अनुज्ञप्तिधारी द्वारा स्वयं उपलब्ध कराया गया है, में बालू की मात्रा लगभग समान है। स्पष्ट है कि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अवैध खनन कर बालू का भण्डारण किया गया एवं उक्त भण्डारित बालू को वैध स्रोत से प्राप्त बालू दर्शाने के उद्देश्य से खननसॉफ्ट पोर्टल में छेड़छाड़ कर अनाधिकृत रूप से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर 2000 मीट्रिक टन बालू का कैपिंग अपने आई0डी0 में जोड़ा गया है। अभ्यावेदनकर्त्ता द्वारा अवैध बालू का उत्खनित कर भण्डारण किया गया है, जो बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण निवारण) नियमावली 2019 का उल्लंघन है। इस कारण अभ्यावदेनकर्त्ता का विभागीय पत्र को यांत्रिक रूप से लागू करने की बात किया जाना तथ्य से परे है एवं अस्वीकार्य है।

6. अभ्यावेदनकर्त्ता का यूजर आई0डी0 अनुज्ञप्ति के शर्त्तों एवं बंधेजों का अनुपालन नहीं करने के कारण पूर्व से ही Inactive था एवं विभागीय पत्रांक–5645, दिनांक–07.10.2025 से यह आच्छादित नहीं था। अभ्यावेदनकर्त्ता इसके लिए स्वयं दोषी है, क्योंकि उन्होंने खनिज विकास पदाधिकारी, पटना के द्वारा शर्त्तों के पालन हेतु दिए गए निदेशों का पालन नहीं किया गया। इस स्तर से भण्डारण अनुज्ञप्ति के आई0डी0 के संबंध में निर्णय नहीं लिया जा सकता है। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किए गए भण्डारण अनुज्ञप्ति की शर्त्तों के उल्लंघन एवं अवैध उत्खनित बालू का भण्डारण किए जाने के लिए बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण निवारण) नियमावली 2019 (यथा संशोधित) के तहत खनन पदाधिकारी निर्णय लेने के लिए सक्षम प्राधिकार हैं। खनिज विकास पदाधिकारी, पटना द्वारा पत्रांक–2366, दिनांक–24.11.2025 से अभ्यावेदनकर्त्ता को अपना पक्ष रखने हेतु स्पष्टीकरण किया गया है। अभ्यावेदनकर्त्ता ने अभ्यावेदन में समर्पित किया है कि उन्होंने ने दिनांक–12.01.2026 को जबाव समर्पित कर दिया है। अतएव खनिज विकास पदाधिकारी, पटना निदेशित है कि वह अभ्यावेदनकर्त्ता के स्पष्टीकरण के गुण–दोष पर विचार कर शीघ्र नियमानुकूल उचित निर्णय लें।

7. उपरोक्त के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में अभ्यावेदनकर्त्ता का अभ्यावेदन निष्पादित किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित
ह0/–
(अवनीश कुमार सिंह)
खान आयुक्त, बिहार

ह0/–
(अवनीश कुमार सिंह)
खान आयुक्त, बिहार

ज्ञापांक :– 3873 /एम0, दिनांकः– 18/06/26

प्रतिलिपि :– समाहर्त्ता, पटना/खनिज विकास पदाधिकारी, जिला खनन कार्यालय, पटना/ श्री मनीष कुमार, पिता–लाल बाबू यादव, ग्राम–धना निसरपुरा, पो0–काब, थाना–रानीतालाब, जिला–पटना/आई0टी0 प्रबंधक, खान एवं भूतत्व विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

18/06/2026

विधि पदाधिकारी